लॉ सक्सेस

साक्ष्य अधिनियम, 1872

THE EVIDENCE ACT, 1872

प्रश्नोत्तर प्रारूप में

लेखक :

हरीश कुमार मिश्र

पुर्नसंशोधनः

पंकज महाजन

अधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

VB विधि भारती

335/285, के0 एल0 कीडगंज,

इलाहाबाद, मो0- 09450633344

Website : *www.vidhibharti.org*

॥ जय माता दी ॥

© सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन

₹-300

2019

ACCOUNT DETAIL

Name of Bank—Punjab National Bank
Name of Account Holder—Vidhibharti
Account No —1006002100106133
IFC Code—PUNB0100600

प्रधान संपादक : श्रीमती रचना महाजन
सह-संपादक : पंकज महाजन
मुद्रक : वेस्टर्न प्रेस
कम्पोजिंग : विधि भारती कम्प्यूटर डिवीजन

WHATSAPP . 9450633344

ADDRESS :

VIDHI BHARTI

335/285, के० एल० कीडगंज, इलाहाबाद
इलाहाबाद, Tel : 09335125454
Website : www.vidhibharti.org
www.book.vidhibharti.org
Email : *support@vidhibharti.org*

प्रतिलिप्यधिकार सहित प्रकाशन, प्रत्युत्पादन तथा किसी भी अन्य प्रकार से पुस्तक के किसी अंश को प्रस्तुत करने सहित सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। इस पुस्तक को यथासम्भव त्रुटि रहित व आद्यतन प्रस्तुत करने का भरपूर प्रयास किया गया है, फिर भी यदि अज्ञानतावश इसमें कोई त्रुटि या कमी रह जाती है, तो उसके कारण हुई क्षति या संताप हेतु प्रकाशक, मुद्रक अथवा लेखक का कोई अन्य व्यक्ति का दायित्व न होगा, इन्हीं शर्तों पर यह पुस्तक विक्रय हेतु प्रस्तुत है। पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित है। —**प्रकाशक**

विषय सूची
(*CONTENTS*)

साक्ष्य अधिनियम की पृष्ठभूमि, उद्देशिका.....1
अधिनियम से पूर्व की स्थिति.....1
साक्ष्य विधि का उद्देश्य, प्रकृति.....1
साक्ष्य की विधि भूतलक्षी (*Lexfori Law*) है.....2
लैक्स फोरी विधि (न्यायालयाधिकृत विधि).....2
साक्ष्य अधिनियम के तीन मुख्य भाग.....3
परिभाषा खण्ड.....4
—न्यायिकेतर कार्यवाही (Non-Judicial Proceedings).....4
—शपथ पत्र (Affidavits).....4
—मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियाँ, आयुक्त (Commissioner),
—न्यायालय (Court), न्यायालय एवं न्यायाधिकरण में भेद.....5
—भारत (India).....8
—सबूत (Proof) और साक्ष्य (Evidence).....8
—नासाबित (Not proved).....8
—साबित नहीं हुआ (Not proved).....8

तथ्य (Fact)

सुसंगत तथ्य (Relevant Fact).....6
—सुसंगत तथ्यों का वर्गीकरण, साक्ष्यिक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य
विवाद्यक तथ्य *(Fact in issue)*.....6
—सिविल मामलों में विवाद्यक तथ्य.....6
—*मो0 इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1976**...7** एस.सी.
—*शमशेर सिंह वर्मा बनाम हरियाणा राज्य,* 24 नवम्बर 2015
(वृहत पीठ)
—विवाद्यक तथ्य एवं सुसंगत तथ्य में अन्तर.....7
दस्तावेज (Document).....7
—*नवल किशोर सोमानी बनाम पूनम सोमानी,* 1999.....8
साक्ष्य (Evidence).....9
—*आर0 एम0 मलकानी* बनाम *स्टेट ऑफ महाराष्ट्र* 1973
—*जियाउद्दीन बरहानुद्दीन बुखारी बनाम बृज मोहन रामदास मेहरा और अन्य,* (1976) 2 एस.एस.सी. 17.....9
साक्ष्य का वर्गीकरण.....9
— मौखिक एवं दस्तावेजी 9
—वास्तविक एवं वैयक्तिक साक्ष्य 9
—न्यायिक एवं न्यायिकेत्तर साक्ष्य.....10
—प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य.....10
—*धर्म देव यादव बनाम उ0प्र0 राज्य,* 2014
—मूल एवं अनुश्रुत साक्ष्य
उपधारणा (Presumption) (धारा 4).....11
—*राजिक राम बनाम जसवन्त सिंह* (1975) 4 SCC 769**..11**
—*सोधी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी* बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य,* 1986....11
—उपधारणाओं का वर्गीकरण.....12
—विधि की उपधारणा या कृत्रिम उपधारणा.....12
—विधि की खण्डनीय उपधारणायें.....12
—विधि की अखण्डनीय उपधारणाएँ 12
मिश्रित उपधारणा (Mixed Presumption).....12
—उपधारणा कर सकेगा (May Presume).....12
—उपधारणा करेगा (Shall Presume).....12
—''उपधारणा कर सकेगा''और ''उपधारणा करेगा'' में अन्तर**..13**
—तथ्य एवं विधि की उपधारणाओं में अन्तर निश्चायक साक्ष्य
◈ **परीक्षापयोगी स्मरणीय तथ्य**.....**14**
◈ **वस्तुनिष्ठ प्रश्न (उद्देशिका से धारा 4)**.....**15**

अध्याय 1

सामान्य (धारा 1-4)

—न दिये जाने योग्य साक्ष्य.....**..20**
साक्ष्य की ग्राह्यता.....**21**
—ग्राह्यता का अर्थ.....**22**
—तथ्य के सुसंगत होने पर अग्राह्यता.....**22**
—तथ्य के सुसंगत न होने पर ग्राह्यता.....**22**
—*आर0 बनाम मसूद अली,* (1965) ऑल इंग्लैड लॉ रिपोर्ट्स
—*मागराज पटौदिया बनाम आर. के. बिरला और अन्य,* 1971**23**

—सुसंगत एवं ग्राह्यता के बारे में आपत्ति.....**23**
—हाजी मोहम्मद बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य, 1959 .....**23**
—सुसंगति और ग्राह्यता कब विनिश्चित की जाए.....**23**
—सुसंगतता एवं ग्राह्यता पर निष्कर्ष.....**23**
—सुसंगतता एवं ग्राह्यता में अन्तर.....**23**
◈ **साम्पार्श्विक तथ्य**.....**24**
—विभिन्न न्यायविदों द्वारा रेसजेस्टे की व्याख्या.....**25**
—आलोचनाएं, *ओलियरी बनाम रेगन,* (1946).....**26**
—आवश्यक तत्व, कार्य या लोप.....**26**
कुछ महत्वपूर्ण वाद (धारा 5).....**26**
सम्बन्धित वाद (धारा 6).....**27**
—आर. बनाम बेडिंगफिल्ड, 1879 (न्यायामूर्ति काकबर्न)
—आर. बनाम क्रिस्टी, 1914
—पाकाला नारायण स्वामी बनाम एम्परर, 1939 PC
—आर0 बनाम फोस्टर, 1834
—थाम्पसन बनाम ट्रोवेनियन, आर॰ बनाम जिप्सनस
—रटन बनाम रेजीनाम, मिल्ने बनाम लेसलर
—राधेश्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, A.I.R. 1993
धारा 7— वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम.....**27**
— आवश्यक तत्व,—*आर०* बनाम *रिचर्डसन*, टेपरिकार्ड...**28**
धारा 7 पर प्रमुख वाद.....**28**
—आर. बनाम रिचर्डसन (अवसर-*Occasion*)
—आर. बनाम डोनेलन (अवसर-*Opportunity*)
—आर. बनाम रेजीनाम
इस धारान्तर्गत सुसंगत तथ्य (धारा 8)
हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात का आचरण (धारा 8)
◈ **हेतु** *(Motive)*.....**29**
—*केहर सिंह बनाम स्टेट* (दिल्ली प्रशासन) 1988 .....**30**
—*आर० बनाम पामर*
◈ **तैयारी (Preperation)**.....**30**
—तैयारी के प्रक्रम, विष के मामले में हत्या.....**30**
◈ **आचरण** (Conduct).....**30**
—*क्वीन* बनाम *अब्दुल्ला,* 1885 इलाहाबाद 385 **..31, 32**
—*आर०* बनाम *लिल्लीमैन,* 1886 क्यू० बी०.....**31**
—आचरण को प्रभावित करने वाला कथन सुसंगत होगा (स्पष्टीकरण 2).....**32**
—*सतपाल* बनाम *दिल्ली प्रशासन*.....**32**
◈ **पहचान परेड** (धारा 9) (Identification Parade) *(Identification Parade)*.....**32**
धारा 9—पहचान परेड या शिनाख्त कार्यवाही **32**
—शिनाख्त कार्यवाही को साक्ष्य, धारा 9 का **दो उद्देश्य**....**32**
शिनाख्त परेड पर अन्य प्रमुख वाद *(धारा 9)*.....**33, 34**
—*महावीर बनाम दिल्ली राज्य,* 2008 SC 2343.....**33**
—*अमित सिंह भीकम सिंह ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य,* AIR 2007 SC **33**
—*अशोक देबर्मा @ अचक देबर्मा बनाम त्रिपुरा राज्य,* **2014** CriLJ 1830.....**33**
—*इकबाल और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश सरकार,* 2015**..33**
शिनाख्त परीक्षण कौन कर सकता है?.....**33**
—*मोती लाल यादव बनाम बिहार राज्य,* 2014.....**33**
—*अशर्फी बनाम राज्य,* AIR 1961.....**34**
—*स्टेट बनाम काथीकालू औघड़,* AIR 1961 SC 1808**..34**
—*एरमदरप्पा बनाम कर्नाटक राज्य,* AIR 1983 SC
—*स्टेट ऑफ गोवा बनाम संजय ठाकरन,* 2007 SC
—*शंकर महतो बनाम स्टेट ऑफ बिहार,* AIR 2002 SC
—*स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन* बनाम *वी॰सी॰ शुक्ला,* 1978
—*रामनाथ महतो* बनाम *स्टेट ऑफ बिहार,* 1966 SC
◈ **धारा 10–षड्यन्त्र** (CONSTIRACY)
—षड्यन्त्रकारियों द्वारा सामान्य परिकल्पना के बारे में कही या की गई बातें (धारा 10) **..34**
—धारा 10 में अन्तर्निहित सिद्धान्त.....**35**
—*मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर,* 1940.....**36**
—*भगवान स्वरूप लाल बिशन लाल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,* AIR 1965 SC.....**36**
—*केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन,* AIR 1988 SC.....**36**
—*सी.बी.आई. बनाम बी.सी. शुक्ला,* 1998 SC
(हवालाकेस) **36**
◈ ***षड्यन्त्र धारा पर प्रमुख वाद***.....**37**
—*सरदूल सिंह कवीशर* बनाम *मुम्बई राज्य,* 1957
—*भगवान स्वरूप लाल विशन लाल और अन्य* बनाम *महाराष्ट्र राज्य,* 1965 एस॰ सी॰
—*तोपन दास* बनाम *मुम्बई राज्य,* 1968 एस॰ सी॰
—*मिर्जा अकबर* बनाम *किंग इम्परर,* 1940 पी॰सी॰
—*बड़ीराय* बनाम *बिहार राज्य,* 1958 एस॰ सी॰

◈ **अन्यत्र उपस्थित होने का अभिवाक्** (धारा 11)....**38**
—यांत्रिकी वस्तुओं की न्यायालय के समक्ष सुसंगता एवं ग्राहता**..38**
—*अब्दुल रज्जाक बनाम महाराष्ट्र राज्य,* AIR 1970 SC 283
—*मुंशी प्रसाद बनाम बिहार राज्य,* 2002 SC के मामला.....**38**
—*दूधनाथ पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश,* 1982 SC.....**38**
—*गडा लक्ष्मी मंगराजू बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य,*2011 SC.....**38**
—*दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य,* निर्णित तिथि 06.01.2016)
—*सखाराम* बनाम *म॰प्र॰ राज्य,* 1952 एस॰ सी॰.....**38**
—*सरोज कुमार चक्रवर्ती बनाम एम्परर,* 1932.....**38**
—*रामकुमार पाण्डे बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* 1975.....**..38**
— *आर॰* बनाम *प्रभुदास,* 1874 (न्यायमूर्ति-वेस्ट).....**39**
—*मिर्जा* बनाम *एम्परर,* 1910 कल॰.....**39**
— *हरियाणा राज्य* बनाम *प्रभु और अन्य,*1979 एस॰ सी॰
—विनय कुमार बनाम बिहार राज्य, 1997 SC
अभ्यासिक अपराधी—*कालू मिर्जा बनाम एम्परर,* 1910**..39**
धारा 12–नुकसानी के लिए दावे.....**39**
—भूमि अर्जन का प्रतिकर.....**39**
धारा 13—जब कि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य, **अधिकार**.....**40**
रुढ़ि–रूढ़ि के प्रकार.....**40**
–आवश्यक तत्व, अधिकार या रूढ़ि का सबूत.....**40**
◈ **हेतु, आशय और ज्ञान** **41**
धारा 14 —मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य।.....**41**
धारा 14 के अधीन तीन सुसंगत तथ्य.....**41**
एंडिगटन बनाम फिट्ज मौरिस, (1885) **42**
अन्य दृष्टान्त (आशय, ज्ञान).....**43**
—विभिन्न दशायें के दृष्टांत एवं तथ्य.....**44**
—हेतु, आशय और ज्ञान में समानता एवं भिन्नता.....**44**
—*वासदेव बनाम पेप्सू राज्य,* 1950 एस. सी.....**44**
—ज्ञान और आशय.....**44**
धारा 14 से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण वाद.....**45**
—क्वीन इम्प्रेस बनाम बाजीराव, 1892 बाम्बे।
—एवसन बनाम किन्नबाई (लार्ड), 1805 के॰बी॰
—आर॰ बनाम थाम्पसन, 1912
—आर॰ बनाम ग्लोस्टे, 1888
—रेग बनाम प्रभुदास, 1847 बाम्बे (धारा 11 में भी)
—सम्राट बनाम हाजी शेर मुहम्मद
—सम्राट बनाम वाहीद्दीन हामीद्दीन
—*पंचू दास* बनाम *एम्परर,* 1915 कल॰।
◈ **समरूप तथ्यों का अपवर्जन (धारा 15)**.....**45**
धारा 15 के आवश्यक तत्व है.....**45**
—*हैरिस बनाम डी.पी.पी.,* 1952 ए.सी. 694
समरूप तथ्यों की अस्वीकार्यता.....**45**
—*मेकिन बनाम एटार्नी जनरल फार न्यू साउथ वेल्स,* 1894 AC 57 PC.....**45**
धारा 16—कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है.....**46**
—*मुबारक अली अहमद* बनाम *महाराष्ट्र राज्य,* एस॰ सी **46**
अन्य दृष्टान्त.....**46**
◈ **परीक्षापयोगी स्मरणीय तथ्य** (धारा 5 से 16 तक)....**47**
◈ **वस्तुनिष्ठ प्रश्न**—**अध्याय 2 (धारा 5-16).**....**48**

अध्याय 2 (धारा 17–39 तक)
विवाद्यक तथ्यों के बारे में कथन
(Things said about the issue)

◈ **स्वीकृति** (*Admission*)
दाण्डिक मामलों में स्वीकृति कौन कर सकता है।.....**55**
—कार्यवाही के पक्षकार.....**55**
—अभिकर्त्ता द्वारा स्वीकृति.....**56**
—प्रतिनिधिक हैसियत वाले व्यक्तियों के कथन.....**56**
—.पूर्ववर्ती हकवाला व्यक्ति (धारा 18).....**57**
—पर-व्यक्ति का कथन **57**
—ऐसा व्यक्ति जिसकी स्थिति विवाद्यक या सुसंगत है (प्रतिनिहित स्वीकृतियां)(धारा 19).....**57**
—मध्यस्थ द्वारा स्वीकृतियां)(धारा 20).....**58**
—*हीराचन्द कोठारी बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान,* 1885 SC**....58**
—स्वीकृति के साक्ष्य के रूप में सुसंगत होने का आधार**. ..58**
—फिप्सन महोदय ने स्वीकृति **58**
—*स्लेटलेरी बनाम पूले 1840*.....**58**
◈ **स्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य**.....**58**
—*नगीनदास रामदास बनाम दलपत राम इच्छाराम,* 1974 **59**

—स्वीकृति की ग्राह्यता, स्वीकृतियों के प्रकार.....**59**
—औपचारिक (Formal) या न्यायिक स्वीकृति.....**59**
—प्रारूपिक स्वीकृतियाँ निम्न प्रकार से की जा सकती है**....59**
—*विश्वनाथ प्रसाद बनाम द्वारिका प्रसाद,* 1974 SC.....**60**
—*के० के० चारी बनाम आर०एम० शेषधारी,* 1973 SC**....60**
अनौपचारिक (Informal) या न्यायिकेतर स्वीकृति.....**60**
—*रम्पिंग बनाम डी०पी०पी०,* 1974 AC.....**60**
आचरण द्वारा स्वीकृतियाँ.....**60**
—मौन स्वीकृति, *मैडले बनाम क्रिस्टी*.....**61**
—*नारायण भगवन्त राव बनाम गोपाल विनायक,* 1962 SC**....61**
—न्यायिक तथा न्यायिकेतर स्वीकृति में अन्तर, अपवाद **...61**
महत्वपूर्ण वाद (धारा 17)
—*परमेश्वरी बाई बनाम एम. सिन्धियाँ,* 1981 SC
—*बृजमोहन बनाम अमरनाथ,* 1980 (जम्मू तथा कश्मीर)**....55**
—*आमिनी बनाम स्टेट ऑफ केरल,* 1988 SC.....**55**
—*विधि परामर्शी बनाम ललित मोहन सिंह राय,* 1921 कल०
—अपवाद—धारा 21 (1), (2), (3).....**62**
—*आर० बनाम फोस्टर,* 1834.....**62**
—*आर० बनाम अब्दुल्ला,* 1885 इला० (FB) **62**
धारा 22—दस्तावेज की अन्तर्रास्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है (धारा 22), अपवाद.....**63**
—इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अन्तर्रास्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती है (धारा 22-क).....**64**
—टेपरिकार्ड (Tape Recording).....**64**
सम्बन्धित अन्य वाद
—*यूसूफ अली बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1968 (एस.सी.) 147
—*आर० एम० मलकानी* बनाम *स्टेट ऑफ महाराष्ट्र*, 1973
खोजी कुत्ते (Dog traking).....**65**
सुरेन्द्र पाल बनाम दिल्ली प्रशासन, 1993 एस० सी०
—*बाबू मकबूल शेख* बनाम *महाराष्ट्र राज्य*, 1993**.....65**
दीवानी एवं आपराधिक मामलों में साक्ष्य
धारा 23—सिविल मामलों में साक्ष्य सुसंगति कब होती है?..**65**
—*सुरजीत कौर बनाम गुरुबचन सिंह,* 1973 SC 18.....**66**

संस्वीकृति (*Confession*)
(धारा 24-30).....**66**
—*एधावलम सम्राट, 1925* इलाहाबाद के प्रकरण में धारित
—*धानुपत्ती डे बनाम सम्राट,* 1944 .....**67**
—*पाकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट,* AIR 1939 PC 47**..67**
—*पलविन्दर कौर बनाम पंजाब राज्य,* AIR 1952 SC 354**..67**
—*एम्परर बनाम बालमुकुन्द, 1930 इला०* **68**
—*निशिकान्त झा बनाम बिहार राज्य,* AIR 1969 SC.....**68**
—*मोहम्मद अजमल मोहम्मद आमिर कसाब अबु मुजाहिद बनाम महाराष्ट्र राज्य*, AIR 2012 SC 3565**.....68**
—*मोहन लाल बनाम अजीत सिंह,* AIR 1978 SC.....**68**
—*रामचन्द्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1957 एस. सी. 38***..68**
—संस्वीकृति के आवश्यक तत्व.....**68**
—*हारून हाजी अब्दुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य,*1968 एस. सी**...69**
संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य.....**69**
—*शंकररिया बनाम राजस्थान राज्य,* 1978 SC.....**69**
—*रिथू बनाम उ०प्र० राज्य,* 1956 SC.....**69**
—*सरवन् सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 1957 SC.....**70**
—*अब्दुल रज्जाक बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1970 SC.....**70**
—*केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन,* 1988 SC.....**70**
संस्वीकृति की सुसंगतता एवं ग्राह्यता.....**70**
—*उ०प्र० राज्य, बनाम सिंघाड़ा सिंह,* 1964 SC.....**70**
—*पुलुकुरी कोटैय्या बनाम एम्परर,* 1947 PC.....**70**
—*मुहम्मद इनायतउल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य,*1976 SC**..70**
—*अगनू नागेशिया बनाम बिहार राज्य,* 1966 SC.....**70**
प्रश्न—संस्वीकृति कब साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है **71**
संस्वीकृति निम्न दशाओं में विसंगत एवं अग्राह्य होती है—
—*आर बनाम थाम्पसन,* 1788, *आर० बनाम पाराट,* 1831**..71**
—*एम्परर बनाम हरप्यारी,* 1926 इला०.....**71**
—*पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्पपर 1939, PC*.....**71**
—*एम्परर बनाम जगीया,* 1938 पटना.....**71**
—*आर० बनाम लेस्टर,* 1859 बाम्बे.....**71**
—*किशोर चन्द्र बनाम हिमांचल प्रदेश,* 1990 SC.....**71**
संस्वीकृति का वर्गीकरण (प्रकार).....**71**
—न्यायिक संस्वीकृति (Judicial Confession)
—न्यायिकेतर संस्वीकृति (Extra-Judicial Confession)

न्यायिक संस्वीकृति (Judicial Confession).....**72**
—न्यायिक संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य (Evidentiary Value of Judicial Confession).....**72**
—*स्टेट बनाम बालचन्द्र,* AIR 1960.....**72**
—*श्री इन्द्रदास बनाम असम राज्य,* (2011).....**72**
न्यायिकेतर संस्वीकृति (*Extra-Judicial Confession*)**.72**
—*साहू बनाम उ0प्र0 राज्य,* 1966 SC..... **72**
—*विनायक शिवाजी राव बनाम राज्य,* (1998) 233**.**.....**72**
—*पक्किरी स्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य,* 1998 SC **72**
न्यायिकेतर संस्वीकृतियों का महत्व या
◈ **साक्ष्यिक मूल्य [MP (HJS) 2017]**.....**72**
—*किशन लाल बनाम पंजाब राज्य,* 1999 SC.....**72**
—*नारायण सिंह बनाम म0प्र0 राज्य,* 1985 SC.....**72**
—*प्यारा सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 1977 SC (*उकाभान बोरा बनाम असम राज्य,* 1988 क्रिमिनल लॉ जर्नल 573).....**72**
—*प्रगड़ सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 2015.....**72**
संस्वीकृति और स्वीकृति में भिन्नता **[UP (APO) 2015]**.....**73**
आपराधिक मामलों में संस्वीकृति और स्वीकृति के बीच अन्तर**.73**
न्यायिक संस्वीकृति एवं न्यायिकेतर संस्वीकृति में अन्तर **74**
न्यायिक संस्वीकृति की शर्तें
विसंगत स्वीकृतियाँ (धारा 21, 22, 22क, 23)
धारा 24—प्राधिकारवान् व्यक्ति.....**75**
प्रमुख वाद
—*आर0 बनाम क्लेरी,* 1964.....**75**
—*आर0 बनाम थाम्पसन,* 1788.....**75**
—*आर0 बनाम स्लीमन,* 1853.....**75**
—*आर0 बनाम गिब्सन,* 1823.....**75, 76**
उत्प्रेरणा, धमकी या वचन आरोप के सम्बन्ध में **76**
—*इम्प्रेस बनाम मोहन लाल,* 1881 इला0.....**76**
—ऐहिक प्रकृति का लाभ.....**76**
—*रिथू बनाम उ0प्र0 राज्य,* 1956 SC.....**76**
—*जीवन बनाम एम्परर,* 1936.....**76**
—*साहू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* 1966.....**77**
पुलिस के समक्ष की गयी संस्वीकृति (धारा 25)
—*डगडू बनाम स्टेट आफ महाराष्ट्र,* 1977 एस0सी0सी0.....**78**
—*बालकृष्ण बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1981 SC.....**78**
—*राजकुमार करवाल बनाम कृपा मोहन बिरयानी,* 1991 SC**...78**
—*एम्परर बनाम हरप्यारी,* 1926 इला0 (पेज 35 पर)
—*पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर,* 139 PC.....**79**
धारा 26—पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना (या पुलिस अभिरक्षा में की गई संस्वीकृति).....**79**
पुलिस अभिरक्षा.....**79**
—*एम्परर बनाम जगीया,* 1938 पटना.....**79**
—*क्वीन बनाम सगीना,* 1948 इला0.....**79**
—*आर0 बनाम लेस्टर,* 1859 बाम्बे.....**79**
—*किशोर चन्द्र बनाम हिमांचल प्रदेश,* 1990 SC.....**80**
—*संजय दत्त बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 2013 .....**80**
—*महबूब अली और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य,* **2015**
—मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति.....**80**
—*इमानदीन बनाम एम्परर,* 1934 लाहौर.....**80**
—*उ0प्र0 राज्य बनाम सिंघाड़ा सिंह* 1964 SC.....**80**
धारा 27—अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी **80**
धारा 27 के आवश्यक तथ्य.....**81**
—*पुलुकुरी कोटैय्या बनाम एम्परर,* 1947 PC.....**81**
—*उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय,* 1960.....**81**
—*मुम्बई राज्य बनाम काथीकालू औघड़,* 1963.....**81**
—*स्टेट बनाम एन0एम0टी0जोय इमाकुलेट,* 2004 एस0सी0
—*अब्दुल हफीज बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य,* 1983 एस0सी0
—*दस्तगीर बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1970 एस0सी0.....**81**
—*मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1976.....**81**
—*नागेशिया बनाम बिहार राज्य,* 1966 SC**.**.....**82**
—अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति का कुछ आधारों पर विसंगत न होना (धारा 29 सपठित 23) (सुसंगत संस्वीकृति).....**82**
—*रेक्स बनाम शॉ,* 1834, *रेक्स बनाम हेरिंगटन और कुछ अन्य,*
—*क्वीन बनाम सगीना और अन्य,* 1867.....**83**
—*उ0प्र0 राज्य बनाम सिघाड़ा सिंह,* 1964 SC.....**83**
धारा 30—सह अभियुक्त की संस्वीकृति (Confession of co-accused)
— आवश्यक तत्व

—अभियुक्त का संयुक्त रूप से विचारण—दृष्टान्त (ख).....**83**
—*कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य*,1952 एस0सी0.....**84**
—*नाथू बनाम उ0प्र0 राज्य,* AIR 1956 SC 159.....**84**
—*आलोकनाथ दत्ता बनाम पश्चिमी बंगाल राज्य,* एस.एस.सी. (2007) 12 एस0सी0 230.....**84**
—*हरीचरण कुर्मी बनाम म0प्र0 राज्य,* 1964 SC.....**84**
सह-अभियुक्त की संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य
—*भुवनी साहू बनाम द किंग,* 1949 PC.....**84**
◈ **प्रत्याहरी संस्वीकृति (वापस ली गयी संस्वीकृति)** (Retracted Confession)
प्रश्न 20—प्रत्याहरी संस्वीकृति (Retracted Consfession) से क्या तात्पर्य है? इसके साक्ष्यिक महत्व पर प्रकाश डालिए? [UP APO 2006]
—प्रत्याहरण का प्रभाव.....**85**
प्रत्याहारी संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य.....**85**
अन्य प्रमुख वाद.....**86, 87**
◈ **निश्चायक सबूत**
आपराधिक मामलों में संस्वीकृति और स्वीकृति के बीच अन्तर**..87**
स्वीकृति और संस्वीकृति से संबन्धित वाद.....**88**
उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता **89**
◈ **मृत्युकालिक कथन (धारा 32)**
धारा 32— *वे दशायें जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है, या मिल नहीं सकता, इत्यादि ।*.....**89**
—मृत्युकालिक कथन के आधार.....**89**
—*क्वीन बनाम अब्दुल्ला*, 1885 इलाहाबाद 385
—*मलेला श्यामसुन्दर बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य,* 2014 **..90**
—मृत्युकालिक कथन की शर्तें **91**
—मृत्युकालिक कथन किसके समक्ष होना चाहिए.....**91**
—पुलिस ऑफिसर द्वारा लेखबद्ध मृत्युकालिक कथन.....**91**
—दो या अधिक मृत्युकालिक कथन.....**92**
—*उत्तर प्रदेश राज्य बनाम चेत राम और अन्य, 1989 एस.सी.*
—*रमेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य,* **(2017)** 1 SCC
—*गुजरात राज्य बनाम जयराज भाई पंजाभाई वारु,* JT 2016
—*के0 रामचन्द्र रेड्डी बनाम लोक अभियोजक*, 1976 **..92**
—*शरद बिरधीचन्द्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1984 .....**93**
—*पाणीबेन बनाम गुजरात राज्य*, 1992 एस0 सी0.....**93**
—*महाराष्ट्र राज्य बनाम निसार रमजान सईद*, **2017** **93**
—*रविचन्दर बनाम पंजाब* राज्य, 1998 एस0सी0 .....**93**
—*उकाराम बनाम राजस्थान राज्य,* 2001 एस0सी0 413
—*भगवान तुकाराम दांगे बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 2014.....**93**
—अंग्रेजी विधि एवं भारतीय विधि में अन्तर.....**94**
मृत्युकालिक घोषणा के साक्ष्यिक मूल्य **94**
—*उ.प्र. राज्य* बनाम *एस.वी. सिंह,* 1964 एस.सी.।
मृत्युकालिक घोषणा की धारा 32(2) से 32 (8)..94
मृत्युकालिक घोषणा पर अन्य प्रमुख वाद.....**95**
—*क्वीन बनाम अब्दुल्ला*, 1885 इलाहाबाद 385
—*खुशालराव बनाम बम्बई राज्य,* ए0आई0आर0 1958
—*नारायण सिंह* बनाम *बिहार राज्य,* 1962 एस.सी.)
मृत्युकालीन कथन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गयी हो
—*दर्शन सिंह* बनाम *असम राज्य,* 1983 एस. सी.
कथन का लिखित या मौखिक होना—
—*क्वीन एम्प्रेस* बनाम *अब्दुल्ला,* 1885 इलाहाबाद।

विशेष परिस्थितियों में किये गये कथन

(धारा 34 से धारा 39)

धारा 34—लेखा-पुस्तकों की प्रविष्टियां, जिनमें वे शामिल हैं, जिन्हें इलेक्ट्रानिक रूप में रखा गया है, कब सुसंगत हैं,**.....98**
लोक अभिलेखों में प्रविष्टियाँ.....**98**
धारा 35—कर्तव्य-पालन में की गई लोक अभिलेख या इलेक्ट्रानिक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति.....**98**
धारा 36—*मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति से सम्बन्धित है।* **98**
—*राम किशोर बनाम भारत संघ,* 1966 एस0सी0.....**99**
धारा 37— किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट
धारा 38—विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि.....**99**
धारा 39
न्यायालयों के निर्णय की सुसंगति *(Relevancy of Judgment of Courts)* (धारा 40-44).....**100**
धारा 40—द्वितीय वाद या विचारण प्रतिबन्धित करने वाले पूर्व-निर्णय सुसंगत है
धारा 41— प्रोबेट, विवाह, नावधिकरण या दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिये गये निर्णय की सुसंगति

— धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव (धारा 42), धारा 43.....**100**
—न्यायालय द्वारा निर्णय आदि का दिया जाना साबित किया जा सकेगा (धारा 44).....**101**
—कपट एवं न्याय साथ-साथ नहीं रह सकते **102**
—सिविल और दाण्डिक मामलों में निर्णयों की ग्राह्यता.....**102**
—*एम्परर बनाम ख्वाजा नजीर अहमद,* 1945 पी0सी0**..103**
— सर्वबन्धी और व्यक्तिबन्धी निर्णयों में प्रमुख अन्तर **..103**
— *शंकरन गोविन्दन बनाम लक्ष्मी भारती और अन्य,* 1974**.103**
विशेषज्ञ की राय की सुसंगति(धारा 45-51).....**104**
अन्य व्यक्तियों की रायें कब सुसंगत है?
—*मुबारक अली अहमद बनाम स्टेट आफ बाम्बे,* 1958 एस0सी0
—विशेषज्ञ कौन है?.....**105**
—*प्रेम सागर मनोचा बनाम राज्य,* निर्णीत तिथि 16.01.2016
विशेषज्ञ की राय की सुसंगति.....**105**
—विदेशी विधि.....**105**
—*अजीज बानो बनाम मुहम्मद इब्राहिम हुसैन,* इलाहाबाद
—*ब्रिस्टो,* 1850, *डी बीच,* 1935, धारा 45-ए.....**105**
— विज्ञान या कला के विषय पर.....**107**
—खोजी कुत्ता (Tracker dog).....**107**
—*अब्दुल रज्जाक बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1970.....**107**
—टाइप मशीन पर अंकित लेख.....**107**
— *हनुमन्त बनाम मध्य प्रदेश राज्य,*1952.....**107**
—मैथुन-समर्थता के लिये मेडिकल जाँच.....**107**
—*अमोल चह्वाण बनाम ज्योति चह्वाण,* 2010 एम0पी0**..107**
—पदचिह्न के विषय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने *प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य,* ए0आई0आर0 1956 एस0सी0
—*जनरैल सिंह* बनाम *पंजाब राज्य,* 1999 एस0सी0.....**107**
—*अब्दुल रहमान* बनाम *मैसूर राज्य,* 1972.....**107**
—चिकित्सीय विशेषज्ञ.....**107**
धारा 47—हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है?.....**108**
धारा 47 का स्पष्टीकरण.....**108**
—*हेमा बनाम राज्य,* 2013 CrLJ 1011 SC.....**108**
—धारा 47-ए में इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर.....**108**
◈ **अंगुलि चिह्न**.....**108**
—*जसपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 1979 एस0सी0 **..108**
धारा 46—विशेषज्ञों की राय का साक्ष्यिक महत्त्व या मूल्य**..109**
विशेषज्ञों की राय की दुर्बलता.....**110**
—*कृष्ण चन्द्र सिंह देव बनाम बाबू गनेश प्रसाद भगत,*1954**..110**
—*अनन्त चिन्तामणि लागु बनाम बम्बई राज्य,* 1960
—*सिल्वी बनाम कर्नाटक राज्य,* ए0आई0आर0 2010 एस0सी0
—*गाजू बनाम उत्तराखण्ड राज्य,* ए0आई0आर0 2012 एस0सी0
प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की राय (धारा 47-क).....**110**
—कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा सुसंगत राय.....**110**
—*राम नारायण* बनाम *उ0प्र0 राज्य,* 1973 एस0सी0 **..110**
—लेखक द्वारा, हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय द्वारा**..111**
—न्यायाधीश द्वारा स्वयं तुलना करके (धारा 73).....**111**
—प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य द्वारा अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन का सबूत (धारा 73-क).....**111**
◈ **अविशेषज्ञों की राय (धारा 47 से 50)** **111**
रूढ़ियों और अधिकार का प्रश्न (धारा 48)
धारा 48 एवं धारा 32 के खण्ड (4) में भी विभिन्नता है—
—प्रथा एवं रूढ़ि में अन्तर.....**112**
—साधारण साक्षी एवं विशेषज्ञ साक्षी में अन्तर.....**112**
—धारा 13 और धारा 48 में अन्तर.....**112**
—धारा 32 (4) और धारा 48 में अन्तर.....**112**
—धारा 13 और धारा 49 में अन्तर.....**112**
—धारा 32 (5) और धारा 50 में अन्तर एवं समानता.... **113**
◈ **शील के साक्ष्य की सुसंगति** (धारा 52 से धारा 55)
(Relevancy of the evidence of character)
—सिविल मामलों में शील के साक्ष्य की सुसंगति (धारा 52)
—नुकसानी पर प्रभाव वाला शील (धारा 55).....**114**
—दाण्डिक कार्यवाहियों अच्छे शील की सुसंगता.....**115**
—अच्छे शील कब और किस प्रकार सुसंगत होता है.....**115**
—सिविल मामलों में शील की सुसंगता.....**115**
—*स्काट बनाम सैम्पसन,* 1882 Q.B.D.....**115**
आपराधिक मामलों में अभियुक्त के शील की सुसंगति
धारा (53-54).....**116**
—अभियोजक का शील.....**116**
—*मुन्ना लाल बनाम डी.पी. सिंह,* **117**
—शील और ख्याति में अन्तर.....**117**
◈ **परीक्षापयोगी स्मरणीय तथ्य**..... **117**
◈ **वस्तुनिष्ठ प्रश्न**— अध्याय 2 (धारा 17 से 55). **121**

भाग 2—अध्याय 3 (धारा 56-58)
तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं
(*Fact which need not be prooved)*

उपधारणायें के प्रकार **132**

◈ **न्यायिक अवेक्षा** *(Judicial Notice)* (धारा 56)**132**

—*शिवनाथ बनाम भारत संघ,* 1965 SC

—*मासूम आलम बनाम भारत संघ,* 1937 SC..... **133**

—*पूर्णाबाई बनाम रणछोड़दास* 1992..... **133**

—*वीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* 1978 एस0सी0 **.133**

—*लक्ष्मी राज बेटी बनाम तमिलनाडु राज्य,* 1988..... **133**

धारा 58..... **134**

◈ **मौखिक साक्ष्य** *(Hearsay evidence)*..... **135**

धारा 119..... **135**

—*क्वीन इम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला,* 1885 इला0..... **136**

—मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए (धारा 60)..... **136**

—अपवाद (धारा 60)..... **136**

—*शरद बिरदी चन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य* , 1984 **136**

—*हरिश्चन्द बनाम दिल्ली राज्य*..... **137**

—*लक्ष्मण और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1974 SC **137**

—मौखिक साक्ष्य के आवश्यक तत्व..... **137**

◈ **अनुश्रुत साक्ष्य** *(Hearsay Evidence)*

—*आर0 बनाम जिक्सन,* 1887, क्वीन्स वेन्च डिवीजन**138**

—*टैपर बनाम आर0,* 1952 SC..... **138**

—*शरद विरधी चन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1984 एस0सी0

—*भुगदोमल गंगाराम बनाम गुजरात राज्य,* 1984 एस0सी0**138**

—*अवध बिहारी शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* 1956 **139**

—अनुश्रुत साक्ष्य की अग्राह्यता के आधार (कारण)..... **139**

—अनुश्रुत साक्ष्य की ग्राह्यता (अपवाद)..... **139**

—*आर0 बनाम फोस्टर,* 1834..... **140**

— स्वीकृति तथा संस्वीकृति (धारा 17-31)..... **..140**

—*प्रताप सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 1964 एस. सी. **140**

—*नाम डाइरेक्टर ऑफ पब्लिक प्राजीक्यूशन्स* 1965 H.C..**140**

—*वुडवर्ड बनाम गौल्सटन,* 1886 AC..... **..141**

—प्रत्यक्ष साक्ष्य एवं अनुश्रुत साक्ष्य में अन्त..... **141**

—*उमेद भाई बनाम गुजरात राज्य,* 1978 SC..... **142**

—*हरदयाल बनाम उ0प्र0 राज्य,* 1976 SC..... **142**

—आरुषी की हत्या का मामला..... **142**

—*खेम सिंह बनाम उत्तराखण्ड राज्य*..... **142**

—*मुनीश मुबार बनाम हरियाणा राज्य,* 2013 एस0 सी0..... **142**

—*धरम देव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* (2014)..... **142**

—*उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुनील,* **JT 2017 (5) SC 4..143**

—प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अन्तर..... **143**

—विवाद्यक या सुसंगत तथ्य को साबित करने का ढंग..... **143**

अध्याय V (धारा 61-90)

—दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में..... **144**

◈ **प्राथमिक साक्ष्य** (धारा 62)*(Primary Evidence)*

—प्राथमिक साक्ष्य के कुछ अन्य उदाहरण

द्वितीयक साक्ष्य (धारा 63)*(Secondary Evidence)***..145**

—*अशोक बनाम माधो लाल,* 1975 एस0सी0 **..146**

—*कल्यान सिंह बनाम श्रीमती छोटी एवं अन्य*, 1990 एस0सी0

—*राज्य बनाम नवजोत संधु उर्फ अफसाना गुरू,* (2005)

—*उदय सिंह बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 2007..... **146**

द्वितीयक साक्ष्य को सहमति के आधार पर ग्रहण करना..... **146**

—*मलय कुमार गांगुली बनाम सुकुमार मुखर्जी,* 2010 एस0सी0

—*यशोदा बनाम शोभारानी,* 2007 एस0सी0..... **144**

धारा 65—द्वितीयक साक्ष्य की परिस्थितियाँ या अवस्थाएं**.147**

—*राजस्थान राज्य बनाम खेमराज,* 2000 एस0सी0..... **147**

—*सीतलदास बनाम सन्तराम,* 1954 एस0सी0..... **147**

—द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता पर आपत्ति..... **147**

—धारा 65-बी की उपधारा (1) से उपधारा (4)..... **148**

—*हरपाल सिंह @ छोटा बनाम पंजाब राज्य,* 2016 SC **..149**

—*अनवर पी.वी.बनाम पी. के. बसीर और अन्य,* 2015 (1) SCC (Cri) 24, धारा 66..... **149**

—प्राथमिक साक्ष्य एवं द्वितीयक साक्ष्य में अन्तर..... **150**

अनुप्रमाणित दस्तावेज के प्रकार..... **152**

धारा 71, 73—*चन्दन बनाम लोंगावी,* 1998 एम0पी0**..152**

◈ **लोक दस्तावेज** *(Public Document)* (धारा 74)**..154**

—लोक दस्तावेज के लक्षण..... **154**

—लोक दस्तावेज निम्नलिखित वस्तुएं मानी गई है..... **154**

—लोक दस्तावेज नहीं माने जाते है..... **155**

—मूल दस्तावेज अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित.... **156**

—प्राइवेट दस्तावेजों के रखे गए लोक अभिलेख..... **156**

—लोक दस्तावेजों के सबूत के साधन..... **156**

◈ **प्राइवेट दस्तावेज (धारा 75)**
(Private Documents)..... **156**

—महत्वपूर्ण प्राइवेट दस्तावेज.....**156**
—लोक दस्तावेज एवं प्राइवेट दस्तावेज में अन्तर.....**157**
—लोक दस्तावेज, प्राइवेट दस्तावेज.....**157**
धारा 76—लोक-दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि लेने का ढंग, निरीक्षण करने का अधिकार और सिविल मामलों में प्रतियाँ, अभियुक्त को बिना किसी विलम्ब के मुफ्त देना.....**158**
धारा 77 से 84.....**159**
दस्तावेजों के बारे में उपधारणायें..... **159**
(Presumptions to documents) (धारा 79-90)
धारा 85-ग—इलेक्ट्रानिक हस्ताक्षर प्रमाण-पत्र विषयक **..161**
धारा 88—तार संदेशों के बारे में उपधारणा.....**162**
धारा 90—तीस वर्ष पुरानी दस्तावेज के उपधारणा के.....**162**
धारा 91 के अनुसार, धारा 91 के स्पष्टीकरण.....**164**
धारा 91 के अपवाद.....**164**
प्रोबेट, धारा 92—मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन.....**164**
धारा 91 एवं 92 की एक-दूसरे के लिए उपयोगिता.....**165**
काशी नाथ चटर्जी बनाम चण्डी चरण बनर्जी, (1866) **165**
रामजी लाल तिवारी बनाम विजय कुमारी, 1970, एम. पी.
दस्तावेज जिसका रजिस्ट्रीकृत होना अनिवार्य था.....**166**
—*के. भवनारायण बनाम शासकीय रिसीवर,* 1971 ए.पी.
जिन संव्यवहार का लेखबद्ध होना विधि द्वारा अपेक्षित.....**167**
—*नाजिर खान बनाम राम मोहन लाल,* 133 इण्डियन केसेज 307 इलाहाबाद (पूर्ण न्यायपीठ).....**167**
—आपवादिक दशाओं में मौखिक साक्ष्य.....**168**
—*जानकी रमन बनाम राज्य,* 2006 एस0सी0.....**168**
धारा 99.....**168**
धारा 91 और धारा 92 पर एक नज़र एवं तुलना.....**169**
धारा 91 एवं धारा 92 में कुछ और महत्वपूर्ण अन्तर.....**170**
धारा 93—*संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन*।
◈ **प्रत्यक्ष संदिग्धता** (Patent ambiguity).....**171**
—धारा 93, 94
◈ **अप्रत्यक्ष संदिग्धता** (Latent ambiguity)
—धारा 95, 98.....**172**
—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष संदिग्धता में अन्तर.....**173**
धारा 95, धारा 96 और धारा 97 में अन्तर.....**173**
◈ **स्मरणीय तथ्य**.....**174**
◈ **वस्तुनिष्ठ प्रश्न (धारा 56 से 100)**.....**177**
(धारा 101-114-A).....**...183**

भाग III
साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव
(अध्याय 7 से 11)

अध्याय 7
(धारा 101-114-क)
सबूतों के भार के विषय में

सामान्य नियम (धारा 101-105)

—धारा 101, दृष्टान्त.....**186**
—*योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य,* **2106**....**186**
—धारा 102— सबूत का भार किस पर होता है.....**186**
—सबूत का भार और साबित करने का भार में अन्तर.....**187**
धारा 103—विशिष्ट मामलों में सबूत के भार के सम्बन्ध में नियम, दृष्टान्त..... **187**
दाण्डिक कार्यवाहियों में सबूत के भार का मानक (धारा 105)**188**
—*दयाभाई* बनाम *गुजरात राज्य,* AIR 1964 SC **188**
अपवाद.....**188**
धारा 101 से 105 तक सम्बन्धित न्यायिक प्रमाण
—*बूलमिंगटन बनाम डी0पी0पी0,* 1935 ए0सी0 के प्रकरण
—*के0 एम0 नीनावती बनाम महाराष्ट्र राज्य,* ए0आई0आर0 1962 एस0सी0 .....**188**
—*जयदयाल पोददार* बनाम *बीबी हाजरा,* 1974 एस॰सी॰
—*रविन्द्र कुमार डे बनाम उड़ीसा राज्य,* 1976 एस0सी0 **188**
—*शंकर लाल* बनाम *महाराष्ट्र राज्य,* 1981 एस॰ सी॰....**189**
—*प्रबोध कुमार दास* बनाम *प्रफुल्ल कुमार दास,* 1982.....**189**
—*जर्नेल सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 1996 एस0सी0.....**189**
—आपराधिक मामलों में सबूत के भार के बारे में.....**189**
—साधारण सिद्धान्त एवं प्रमुख वाद.....**189**
—*डॉक्टर नारायण गणेश दास्ताने बनाम श्रीमती सुचेता दास्ताने,* 1975 एस. सी. 1554)..... **189**
—*दातार सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 1974 एस. सी.....**189**
—निर्दोषिता की उपधारणा और सबूत के भार का सिद्धान्त **190**
सिविल मामलों में सबूत के भार का सिद्धान्त एवं मानक **19**
—*ब्लिथ बनाम ब्लिथ,* (1966) 1 आल इंग्लैण्ड लॉ रिपोर्ट्स
—आपराधिक और सिविल मामलों में सबूत के भार में अन्तर**191**
धारा 101 और 105 के अधीन सबूत के भार में अन्तर **191**
—*प्रताप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* 1976 एस. सी.....**191**

अपवाद (धारा 106-114)
—विशेष ज्ञात तथ्य (धारा 106)..... **191**
उपधारणा (धारा 107-114)..... **192**
—विधि की खण्डनीय उपधारणा (Rebuttable Presumption)
—*टॉमसो ब्रुनो बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* जे.टी. **2015**.....**192**
धारा 107—उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है।..... **192**
धारा 108—*यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है।*
— उत्तरजीविता तथा मृत्यु की उपधारणा (धारा 107 एवं धारा 108).....**192**
—घर से भागे व्यक्ति की उपधारणा.....**192**
—मृत्यु का समय एवं अवधारणा (धारा 108)..... **193**
अन्य वाद
—*दर्शन सिंह बनाम गुज्जर सिंह,* 2002 एस0सी0..... **193**
—*श्री विद्या मन्दिर एजूकेशन सोसाइटी बनाम मलेश्वरन संगीत सभा,* 1985 एस0 सी0।..... **193**
—हिन्दू एवं मुस्लिम विधि में मृत्यु की उपधारणा..... **193**
—विशिष्ट सम्बन्धों के बारे में उपधारणा (धारा 109) **194**
सम्बन्धित वाद
—चूहरमल बनाम सी0आई0टी0, (1983) एस0सी0सी0...**194**
—स्टैण्डर्ड चार्टेड बैंक बनाम आन्ध्र प्रदेश फाइनेन्शियल, 2006
—सद्भाव का सबूत (धारा 111)..... **194**
धारा 111-ए—कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा..... **194**
धारा 113-बी —दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा.....**194**
—*गुरुवचन सिंह बनाम सतपाल सिंह,* 1990 एस0सी0 **195**
—*सुलतान सिंह बनाम हरियाणा राज्य,* 2015..... **195**
—दहेज मृत्यु की मुख्य शर्तें **195**
धारा 113-ए—बलात्संग के बारे में उपधारणा.....**195**
—*तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य,*1979 एस0सी0 (मथुरा रेप केस)..... **195**
स्पष्टीकरण..... **196**
◈ **निश्चायक सबूत** (धारा 112, 113).....**196**
—धर्मजत्व की उपधारणा (धारा 112)..... **196**
—राज्य क्षेत्र के अभ्यर्पण का सबूत (धारा 113)..... **196**
आत्महत्या के बारे में उपधारणा (धारा 113-ए)..... **197**
—तथ्य की उपधारणायें (धारा 114)..... **197**
—धारा 114 के दृष्टान्तों की व्याख्या..... **197**
सह-अपराधी (Accomplice)..... **198**
—*शेख जाकिर बनाम बिहार राज्य,* 1983 एस0सी0
—दृष्टान्त क से झ तक **198, 199**
साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-ख में अन्तर..... **200**
धारा 114 का दृष्टान्त..... **200**
◈ **परीक्षापयोगी एक पंक्तिय स्मरणीय तथ्य**..... **200**
◈ **वस्तुनिष्ठ प्रश्न** (सबूत के भार के विषय में)
(धारा 101-114) **202**
अध्याय 8 (धारा 115-117)
विबन्ध *(Estoppel)* 205
—*पिकार्ड बनाम सियर्स* **205**
—*सी0एण्ड डी0 शुगर कम्पनी लिमिटेड बनाम*.....**205**
सी. एन. स्टीमशिप लिमिटेड, 1947 पी. सी..... **206**
—*ग्यारसीवाई बनाम धनसुख लाल,* 1965 एस0सी0 1055
—विबन्ध के आवश्यक तत्व..... **206**
—*वी0एल0 श्रीधर बनाम के0 एम0 मुनी रेड्डी,* 2003 **207**
विबन्ध के प्रकार *(Kinds of estoppel)*..... **207**
—अभिलेख विबन्ध (Estoppel by record)
—*भूरा सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 1974 एस0सी0.....**208**
विलेख विबन्ध (Estoppel by deed)..... **208**
आचरण विबन्ध (*Estoppel in pais by Conduct*)
—*राज्य सचिव बनाम तात्या होलकर* के वाद में सरकार ने साम्यापूर्ण विबन्ध (Equitable estoppel)..... **208**
—*ग्रीनवुड बनाम मर्टिन्स बैंक लि0,* 1933 एल0आर0।**209**
वचनात्मक विबन्ध (Promissory estoppel)—
—*पश्चिमान्चल विद्युत वितरण निगम बनाम आदर्श टेक्सटाईल,* AIR 2015 SC 511
—*महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा लिमिटेड बनाम भारत संघ,* 1979**210**
—किन मामलों में विबंध का सिद्धान्त लागू नहीं होता है?
विबन्ध के नियम के अपवाद..... **209**
सम्बन्धित वाद—*मरकेन्टाइल बैंक आफ इण्डिया बनाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया,* 1937 आई0ए0 75..... **209**
—*शरद चन्द्र डे बनाम गोपाल चन्द्र लाहा,* (1892).....**209**
—*नावा किशोर बनाम उत्कल विश्वविद्यालय,* 1978 उड़ीसा

—शिक्षण-संस्थाओं के विरूद्ध विबन्ध..... **210**
—*श्रीकृष्ण बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय,* 1976 .....**211**
—*एन. रामनाथ बनाम केरल राज्य,* 1977 एस. सी.....**211**
—*जी0 सरन बनाम लखनऊ विश्वविद्यालय,* 1976 एस0सी0
वचनात्मक विबन्ध का सिद्धन्त का सार.....**211**
—*ज्योति दास बनाम असम राज्य,* 1990 गुवाहाटी **211**
—संविदा द्वारा विबन्ध (धारा 116) **211**
—धारा 117 के दो स्पष्टीकरण **211**
—अधित्यजन कैसे होता है.....**212**
—*मैसर्स मोतीलाल पदमपत शूगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य,* 1979 एस. सी.)..... **212**
—*एक्सप्रेस न्यूजपेपर प्रा॰ लि॰ बनाम भारत संघ, 1986*....**212**
—विबन्ध और पूर्व न्याय के बीच अन्तर.....**212**
—विबन्ध और उपधारणा में अन्तर.....**212**
—विबन्ध और अधित्यजन (Waiver) में अन्तर..... **212**
—विबन्ध और स्वीकृति में अन्तर **[UP (J) 2015]** .. **213**
—विबन्ध में कौन से व्यक्ति आते हैं.....**213**
सम्बन्धित प्रमुख वाद..... **213**
आचरण द्वारा व्यपदेशन.....**213**
—*मरकेन्टाइल बैंक ऑफ इण्डिया लि॰* बनाम *सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया लि॰ 1937*.....**213**
—शिक्षण-संस्थाओं के विरूद्ध विबन्ध.....**213**
—*श्री कृष्ण* बनाम *कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी,* 1976 एस॰सी॰...**213**

अध्याय 9 (धारा 118-134) 214

साक्षियों के विषय में

◈ **साक्षियों के विषय (OF WITNESSES)**.....**215**
धारा 118 .....**215**
—मूक व्यक्ति का साक्ष्य (धारा 119) [UP (APO) 2015]**216**
—मूक व्यक्ति के साक्ष्य की विशेषता.....**216**
—पति या पत्नी के विशेषाधिकार **[UP (APO) 2015] 216**
—धारा 121..... **218**
न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों के विशेषाधिकार (धारा 121)
—अपवाद..... **218**
धारा 121 के तीन दृष्टांत है..... **219**
— विवादित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएँ (धारा 122)
—*राम भरोसे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,* 1954 एस0सी0.....**219**
—*क्वीन एम्प्रेस बनाम डोनोहियू,* (1899) 22 मद्रास.....**219**
—*एम0 सी0 वर्गीज बनाम टी0जे0 पोनन,* 1970 एस0सी**219**
राज्य के कार्यकलाप के बारे में साक्ष्य (धारा 123)220
—*राजनारायण बनाम इन्दिरा गांधी,* 1974 इलाहाबाद.....**220**
शासकीय संसूचनाएँ (धारा 124).....**220**
—***निशा प्रिया भाटिया बनाम अजीत सेठ ओर अन्य,***
ए0आई0आर0 **2016** सु0को0.....**220**
—अपराधों के बारे किये जाने के बारे में जानकारी (धारा 125)**220**
वृत्तिक संसूचनाएँ (*Professional Communication*) (धारा 126 सपठित 127, 128)..... **221**
धारा 126, आवश्यक शर्तें, अपवाद.....**221**
—धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी (धारा 127).....**221**
—साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अधित्यक्त नहीं हो जाता (धारा 128)..... **221**
—विधिक सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएँ (धारा 129) **222**
—धारा 129 के अनुसार.....**222**
—जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना (धारा 130 सपठित 162).....**222**
—धारा 131 के अनुसार..... **222**
विवशनीय साक्षी (Compellable witness).....**223**
—साक्षी के उत्तर देने के लिए कब विवश किया जायेगा (धारा 147 सहपठनीय धारा 132).....**223**
कुछ अन्य साक्षी.....**223**
—बाल साक्षी का साक्ष्य.....**223**
—बालक साक्षी की सक्षमता और विश्वसनीयता..... **223**
—*निर्मल कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य,* 1952 ए0सी0...**224**
—*योगेश सिंह बनाम महाबीर सिंह और अन्य,* **2016**.....**223**
संयोगी साक्षी (Chance Witness) **223**
—बलात्संघ का भोगी साक्ष्य (*Victim of Rape*).....**223**
—रिश्तेदार साक्षी द्वारा साक्ष्य (*Evidence of Relative*).....**223**
—पागल साक्षी के पागलपन के कारण अक्षमता.....**223**
—क्या अभियुक्त सक्षम साक्षी है.....**224**
—सक्षमता और बाध्यता में अन्तर.....**225**
◈ **सह-अपराधी** (ACCOMPLICE) (धारा 133).....**225**
—*जगन्नाथ बनाम एम्परर,* ए0आई0आर0 1942 .....**225**
—सह-अपराधी के साक्ष्य की सम्पुष्टि.....**226**
—*क्रिशनन@रामस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य,* 2014 .....**226**
—*खोकन गिरी@ माधब बनाम पश्चिम बंगाल राज्य,* **2017 (1) Supreme 297**..... **226**

—कुछ विशिष्ठ अपराधों में सह-अपराधी की गढ़ना..... **227**
—*भूलेमियां बनाम राज्य,* 1969 कलकत्ता 416.....**227**
—जासूसी का मामला, दृष्टान्त (धारा 114-ख).....**227**
—*भुवानी साहू बनाम सम्राट,* 1949 पी0सी0 1257... **227**
—*रामेश्वर कल्याण सिंह बनाम राजस्थान राज्य,* 1952.. **228**
—*रामकृष्ण डालमियां बनाम दिल्ली प्रशासन,*1982 एस0सी0**228**
—डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1977 एस0सी0सी0.....**228**
—मदन मोहन बनाम पंजाब राज्य, 1970 एस0सी0.....**228**

लैगिक अपराध में लिप्त सह-अपराधी

—धारा 134—साक्षियों की संख्या.....**228**
—*एम. जी. मोहिते बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1973.....**228**
—*नन्द कुमार बनाम छत्तीसगढ़ राज्य,* 2015 .....**228**

◈ **परीक्षापयोगी स्मरणीय तथ्य**..... **229**

◈ **वस्तुनिष्ठ प्रश्न (अध्याय 8 ,9)**(धारा 115-134)..**230**

अध्याय 10 (धारा 135-166) 214

साक्षियों के विषय में

साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम.....**235**
—साक्षी की परीक्षा (Examination of witness).....**235**
(धारा 137 एवं धारा 138)
—आदेश देने की शक्ति आदि के लिये धारा 135 से धारा 166 में उपबन्ध किये गये हैं।.....**235**
—*द्विजेश चन्द्र बनाम नरेश चन्द्र,* 1946 कलकत्ता.....**236**
—सिविल एवं दाण्डिक कार्यवाहियों में परीक्षा..... **237**
—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 18 के नियम 4
—दाण्डिक कार्यवाहियाँ..... **237**
—कमीशन द्वारा साक्षियों की परीक्षा..... **238**

◈ **धारा 137–मुख्य परीक्षा** *(Examination-in-Chief)*

—*परमेश्वरी देवी बनाम राज्य,* 1977 एस0 सी0 403
—मुख्य परीक्षा का उद्देश्य, मुख्य परीक्षा की प्रक्रिया
—मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित नियम हैं.....**238**

◈ **प्रति-परीक्षा** *(Cross-examination)*.....**239**

—प्रतिपरीक्षा का उद्देश्य..... **239**
—प्रति-परीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न (सीमाएं).....**239**
—प्रति-परीक्षा का महत्व..... **240**
—प्रतिपरीक्षा का अवसर वास्तविक प्रतिपरीक्षा के बराबर
—*सतपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य,* 2010 SC..... **240**

◈ **पुनः परीक्षा** *(Re-examination)*..... **241**

—पुनः परीक्षा का महत्त्व..... **241**
—**परीक्षाओं का क्रम** (धारा 138)..... **241**
—मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा एवं पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न कब पूछे जा सकते हैं..... **241**
—प्रति-परीक्षा में कौन से प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे.....**242**
—धारा 139 में प्रावधानित है कि यदि किसी गवाह को केवल
—धारा 140 में शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के विषय .**242**
—प्रति-परीक्षा और पुनः परीक्षा में अन्तर..... **242**
—मुख्य परीक्षा एवं पुनः परीक्षा में अन्तर..... **243**
—*ए0 नायर बनाम तमिलनाडू राज्य,* 1976 SC.....**243**
—मुख्य परीक्षा और प्रति-परीक्षा में अंतर..... **243**
—सूचक प्रश्न *(Leading question)* (धारा 141-143)**243**
—सूचक प्रश्न कब नहीं पूछना चाहिए (धारा 142).....**244**
—सूचक प्रश्न कब पूछा जा सकेगा..... **245**
—धारा 144— लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य के विषय में
—*मोहन लाल गंगाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य,* 1982..... **246**
धारा 146 से धारा 152 ..... **246**
धारा 149—युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जायेगा।**247**
धारा 150—युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया।..... **247**
धारा 151—अपमानित या क्षुब्द करने के लिए आशयित प्रश्न।**248**
धारा 152..... **247**
प्रतिपरीक्षा में सूचक प्रश्न पूछे जाने के कारण 1993 SC...**247**
धारा 153—सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन।..... **248**

◈ **पक्षद्रोही साक्षी** (*Hostile Witness*).....**248**

धारा 154 ..... **249**
—*उ0प्र0 राज्य बनाम चेतराम,* 1989.....**250**
—*सत्यपाल बनाम दिल्ली प्रशासन,* 1979 एस0सी0....**250**
—*पंचम बनाम आर0,* ए0आई0आर0 1930.....**250**
—*परवीन बनाम हरियाणा राज्य,* 1996 एस0सी0सी0.....**251**
—*कौशल किशोर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य,* 2006 एस0सी0
—*गोविन्द राजू उर्फ गोविन्दा बनाम राज्य,* 2012 एस0सी0

धारा 155 ..... **251**
—*विनय कुमार बनाम बिहार राज्य,* 1997 एस0सी0.....**251**
—प्रथम सूचना रिपोर्ट (First Information Report).....**251**

धारा 157—पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वकथन कथन का साबित किया जाना..... **252**
—*शेख जाकिर बनाम स्टेट आफ बिहार,* 1983 एस0सी0

धारा 158—साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 22 एवं 33 के अधीन सुसंगत हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी। धारा 159, धारा 160.....**254**
धारा 161—स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार.....**254**
धारा 162—दस्तावेजों को पेश करने के नियम.....**254**
—*बिहार राज्य बनाम कृपाल शंकर,* 1987 SC.....**254**
—*राज नारायण बनाम इन्दिरा गाँधी,* 1974 इला0.....**254**
—मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना (धारा 163).....**255**
—सूचना पाने पर जिस दस्तावेज को पेश करने से इंकार कर दिया गया हो, उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना (धारा **164**).....**255**
—*फूलचन्द्र गर्ग बनाम गोपालदास अग्रवाल,* AIR 1990 MP —आदेश देने की न्यायालय की व्यक्ति **256**
—न्यायालय द्वारा पूछे गये प्रश्न के प्रति.....**256**
—*क्वीन एम्प्रेस बनाम इशारी,* ILR All **256**
—*रामचन्द्र बनाम हरियाणा राज्य,* 1981 एस0सी0सी0 191 जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति (धारा 166) **257**
—मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा में अन्तर.....**257**
—प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा में अन्तर.....**257**
—प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकने वाले प्रश्न.....**257**
—न्यायालय द्वारा निषिद्ध प्रश्न **257**
—अशिष्ट एवं कलंकात्मक प्रश्न (धारा 151).....**257**
—अपमानित या क्षुब्धकारी प्रश्न (धारा 152,158).....**257**
—सम्पुष्टि साक्ष्य *(Corroborate evidence)*(धारा 156-158) **258**
अध्याय XI (धारा 167).....258
साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में 259
प्रश्न 48—साक्ष्य के अनुचित ग्रहण पर क्या प्रभाव होता है? (धारा 167)[UP (APO) 2002] **259**
धारा 167 के शब्दों के अनुसार.....**259**
साक्ष्य का अनुचित—(क) ग्रहण या (ख) अग्रहण.....**259**
—*बाबू लाल बनाम मोहम्मद शरीफ,* 1996..... **259**
परीक्षापयोगी स्मरणीय तथ्य.....**259**
अध्याय 10, 11 (धारा 135 से 167).....**260**
वस्तुनिष्ठ प्रश्न—अध्याय 10, 11.....**263**
(धारा 135-167)

विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों में मुख्य परीक्षा में पूछे गये प्रश्न

प्रश्न 1 : तथ्यों को परिभाषित करते हुए, सुसंगत तथ्य एवं विवाद्यक तथ्य की व्याख्या कीजिये तथा अन्तर का वर्णन करो। (धारा 3) [Bihar 1977, 1986, UP (J) 2000, Utt. (J) 2011, 2013, MP (J) 2010].....**5**

प्रश्न 2 : साबित, नासाबित एवं साबित नहीं हुआ व्याख्या कीजिये। (धारा 3)[Bihar (J) 2011].....**8**

प्रश्न 3 : साक्ष्य एवं साक्ष्य के प्रकार समझाइये। [Bihar 2000]**...8**

प्रश्न 4 : उपधारणा किसे कहते हैं? उपधारणा का क्या प्रभाव होता है? विभिन्न प्रकार की उपधारणाओं को उदाहरण सहित समझाइये। तथ्य एवं विधि की उपधारणाओं में अन्तर बताएं।

प्रश्न : उपधारणा कर सकेगा और उपधारणा करेगा मेंक्या अन्तर है।[Bihar 1977, 1978].....**11**

प्रश्न 5—निश्चायक साक्ष्य और निश्चायक सबूत किसे कहते है।[Bihar 1979, 84, 86, 87, U.P. (APO)2006].**12**

प्रश्न 6 : केवल विवाद्यक एवं सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्य का नहीं, समझाइये। (धारा 5) [UP (APO) 1997]..... **20**

प्रश्न 7 : सुंसगता एवं ग्राह्यता न तो समानार्थी है और न ही सह-विस्तृत, व्याख्या कीजिए। सुसंगता एवं ग्राह्यता में अन्तर। [U.P . (J) 2003, APO 1996, **Utt. (J) 2013)**].....**21**

प्रश्न—सुसंगति और ग्राह्यता न तो समानार्थक है, न ही, समविस्तीर्ण है और न ही एक दूसरे में समाविष्ट है, उपर्युक्त उदाहरण दीजिए। [UP (J) 1976, Bihar (J) 2005, 2000]

प्रश्न—साक्ष्य की सुसंगति तथा ग्राह्यता में अन्तर स्पष्ट कीजिए। [UP (J) 1986]..... **21**

प्रश्न—"सुसंगता तथा ग्राह्यता न तो पर्यायवाची है और नही एक दूसरे में सम्मिलित है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। [UP (J) 1992, 2002, 2003].....**21**

प्रश्न—जो साक्ष्य सुसंगत है वह आवश्यक रूप से ग्राह्य नहीं होता है किन्तु जो साक्ष्य ग्राह्य होता है वह सुसंगत होता है।" समीक्षा कीजिए। [UP (J) 2003]..... **21**

प्रश्न : किसी तथ्य की ग्राह्यता एवं किसी तथ्य की सुसंगता को समझाइये। **[UP (APO) 2015]**.....**21**

प्रश्न 8—"जो तथ्य विवाद्यक न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग है।" व्याख्या कीजिए। (धारा 6)..... **24**

[Bihar 1977, 79, 80, 86, 87, UP (J) 1983, 84, U.P. (APO) 1996, 97, 2007, Utt. 2011].....**24**

प्रश्न 9— रेस जेस्टे का सिद्धान्त किसे कहते हैं? [**UP (J) 2015**, **Bihar (J) 2016**].....**25**

प्रश्न 10—जो तथ्य अन्यथा सुसंगत नहीं होते हैं वे कब सुसंगत होते हैं? [UP (APO) 1997, 2002, 2007].....**37**

प्रश्न 11—उदाहरण सहित समझाइये कि वे तथ्य जो मन या शरीर को दर्शाता है। शारीरिक संवेदना की विद्यमानता दर्शित करते हैं, कब और कैसे सुसंगत होते हैं? (धारा 14)[UP (APO) 1996, 1997, 2007].....**41**

प्रश्न 12—स्वीकृति को परिभाषित कीजिए, स्वीकृति कौन कर सकता है, स्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या होता है?(धारा 17-31)**[UP (APO) 2015]**.....**54**

प्रश्न : कब एक व्यक्ति स्वीकृतियों को अपने पक्ष में साबित कर सकता है? उदाहरण द्वारा समझाइये।**[MP (J) 2016]**

प्रश्न 13—स्वीकृति से क्या समझते हैं उसे कौन कर सकता है। कब इसका प्रयोग स्वीकृति करने वाले के द्वारा या उसकी ओर से किया जा सकता है? [UP.APO 1996]**...61**

प्रश्न 14—इलेक्ट्रानिक अभिलेखों की अंतर्वस्तु किस प्रकार प्रमाणित की जा सकेगी और किसी कार्यवाही में किस प्रकार ग्राह्य होगी? व्याख्या कीजिये।**[MP (J) 2015]**.....**63**

प्रश्न 15—संस्वीकृति की परिभाषा कीजिए, संस्वीकृति कितने प्रकार की होती है? व्याख्या करें। **[UP (APO) 2015]**

प्रश्न —संस्वीकृति का साक्ष्यात्मक महत्व क्या है क्या न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है? **[MP (HJS) 2017]**.....**66**

प्रश्न—प्राधिकारवान् व्यक्ति के समक्ष की गयी संस्वीकृति का क्या महत्व है?

प्रश्न—अभियुक्त द्वारा पुलिस अभिरक्षा में की गयी संस्वीकृति का क्या प्रभाव होता है, विवेचना कीजिये ? पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त द्वारा दी गयी जानकारी को किस सीमा तक सुसंगत माना जाता है?

प्रश्न—संस्वीकृति कब सुसंगत एवं कब विसंगत होती है?

प्रश्न—सह-अभियुक्त (co-accused) किसे कहते हैं इसके द्वारा की गयी संस्वीकृति का क्या महत्व होता है? (धारा 30) [MP (J) 2014, Utt. (J) 2013, 2009, 2002, 2005, 2009, Del (J) 1982, Raj (J) 1999].....**66**

प्रश्न 16—"स्वीकृतियाँ सुसंगत है"? इस नियम के अपवाद बताइये।.....**74**

प्रश्न : उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृतियाँ दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है.....**74**

प्रश्न 17—प्राधिकारवान व्यक्ति के समक्ष की गयी संस्वीकृति का क्या महत्व है?.....**76**

प्रश्न 18—पुलिस आफिसर से की गयी संस्वीकृति या पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए। [UP (APO 2002), UP(J) 86-87 Bihar (J) 91, 2000].....**77**

प्रश्न—किसी व्यक्ति द्वारा उस समय की गयी संस्वीकृति जब वह किसी पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, सामान्यतया उस व्यक्ति के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। क्या इस सामान्य नियम के कोई अपवाद है, और यदि है, तो किन परिस्थितियों में और किस सीमा तक ऐसी संस्वीकृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है।[UPAPO 1978, UP(J) 97]

प्रश्न—"किसी भी पुलिस अधिकारी से की गई संस्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होती।".....**77**

उपर्युक्त कथन को समझाइये।(Sec 25)[UPAPO 1997 (Sp.), UP (J) 1983].....**77**

प्रश्न 19—सह-अभियुक्त (co-accused) किसे कहते हैं इसके द्वारा की गयी संस्वीकृति का क्या महत्व होता है? (धारा 30) [UP (APO) 2002, 2006, UP (J) 1999].....**83**

प्रश्न —साक्ष्य अधिनियम के उस प्रावधान का विवेचन करें जिसके अंतर्गत एक अभियुक्त की संस्वीकृति उन्य सह-अभियुक्त के विरूद्ध प्रयुक्त की जा सकती है?**[MP (J) 2013]**

प्रश्न 21—"स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं होती है।" किन्तु विबन्ध कर सकती है। [Bihar (J) 1978, 1979, 1987, UP (J) 1992, 1984, 1987, 1991, 96, 1997, UP (APO) 2002, 2007, Utt. (J) 2009, 2011].....**89**

प्रश्न 22—मृत्युकालिक कथन किसे कहते हैं? यह कब ग्राह्य होता है? [Bihar 1977, 1884, 1986, 1991, 2011, U.P. (J) 1985, 1991, 2003, 2013, U.P. (APO) 1994, 97, 2006, 2007, Utt. (J) 2008, 2011, Jhar. (APO) 2013, UP (J) 2015, MP (J) 2012, 2011]

प्रश्न 23—पूर्व निर्णय कब सुसंगत होता है? क्या पूववर्ती वाद का निर्णय पश्चातवर्ती वाद में ग्राह्य हो सकता है। (धारा 40) सिविल एवं दाण्डिक मामलों में इसका वर्णन करें व अन्तर बताएं। [UP (J) 1974, 1999, UP (APO) 1997]**..100**

प्रश्न—न्यायालयों के निर्णयों के सुसंगति से सम्बन्धित नियमों को संक्षेप में समझाइये। **[UPAPO 1996]**

प्रश्न—न्यायालय के निर्णयों की सुसंगतता को स्पष्ट कीजिए। [UPAPO 2002] [APO 1994, 2006]

प्रश्न : क्या किसी प्रकरण में मौखिक मृत्युकालिक कथन पर दोषसिद्धि को आधारित किया जा सकता है? यदि हाँ तो किन परिस्थितियों में ? न्याय दृष्टांतों के संदर्भ में उत्तर दीजिये। **[MP (HJS) 2013]**.....**89**

प्रश्न 24—विशेषज्ञ किसे कहते हैं इनका साक्ष्य कब सुसंगत होता है? विशेषज्ञ की राय का साक्ष्यिक मूल्य बताएं ? (धारा 45-51) [Bihar 1984, U.P. (J) 1982, 1997, UP (APO)1982, 96, 2007, Utt. (J) 2011, JHAR (APO) 2013, **UP (APO) 2015**].....**105**

प्रश्न 25—शील का साक्ष्य कब सुसंगत होता है? [UP (APO) 1997, 2002, 2007].....**114**

प्रश्न 25क—अपराध की संभावना दिखाने के लिए 'बुरे चरित्र का तथ्य कहाँ तक प्रासंगिक है ? भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 53, 54 के प्रकाश में समझाइये। **[Bihar (J) 2016]**

प्रश्न 26—वे कौन से तथ्य है जिन्हें न्यायालय में साबित करना आवश्यक नहीं होता है? न्यायिक अवेक्षा पर टिप्पणी। [Bihar (J) 1979, Utt. (J) 2009, 2013]..... **132**

प्रश्न 27: एक दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं के अतिरिक्त सभी तथ्यों को मौखिक साक्ष्य से सिद्ध किया जा सकता है, जो प्रत्येक दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए? संक्षिप्त विवेचना कीजिये। **[UP (J) 2015]**.....**134**

प्रश्न 28—मौखिक साक्ष्य किसे कहते हैं? मौखिक साक्ष्य सभी स्थितियों में प्रत्यक्ष होना चाहिए। समझाइये, क्या इस नियम का कोई अपवाद है?या(धारा 59-60)

प्रश्न 29 : अनुश्रुत साक्ष्य किसे कहते है एवं उसके अपवर्जन का नियम क्या है, अन्तर बताएं ?

(ग) परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसे कहते हैं यह कब सुसंगत होता है, समझाइये। [Bihar 1975, 86, 87, 2006, 2011, UP (J) 1985, 86, 2003, UP (APO) 1982, 96, 97, 2006, 2007, Utt. (J) 2009, 2013, Jhar (APO) 2013, Jhar (J) 2014, **UP (APO) 2015**].....**135**

प्रश्न 30—परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसे कहते हैं क्या इसके आधार पर किसी व्यक्ति को दण्डित किया जा सकता है? प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अन्तर बताएँ। [**UP (APO) 2015**].....**141**

प्रश्न : प्रत्यक्ष साक्ष्य तथा परिस्थितिजन्य साक्ष्य में अन्तर पर टिप्पणी कीजिए।.....**143**

प्रश्न 31—दस्तावेज की व्याख्या करते हुए, प्राथमिक एवं द्वितीयक साक्ष्य किसे कहते हैं तथा इनमें क्या अन्तर है? (धारा 61-65) [Bihar 1977, UP (APO) 1982, 96, **Utt. (J) 2011**].....**145**

प्रश्न 33—लोक दस्तावेज एवं निजी दस्तावेज किसे कहते हैं? तथा अन्तर स्पष्ट किजिये। (धारा 74-78) [Bihar 2006, UP (APO) 1996, 2002].....**153**

प्रश्न 34—लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति कैसे प्राप्त की जा सकती है?.....**158**

प्रश्न 35—इस कथन की व्याख्या कीजिए कि जो लेखबद्ध कर लिया गया है उसको लेखबद्ध द्वारा ही साबित किया जाना चाहिए; क्या इसका कोई अपवाद है, स्पष्ट कीजिये ? [Bihar (APO) 2009, UP (APO) 1994, 1997, UP (J) 1983, UP (J) 2013, Jhar. (J) 2014].....**163**

प्रश्न 36—प्रत्यक्ष संदिग्धता एवं अप्रत्यक्ष संदिग्धता किसे कहते हैं तथा दोनों में क्या अन्तर है? (धारा 93, 96) [UP (J) 1986, 2003, 2013, UP (APO) 1994, 97, 2006, 2007, UP (APO) 2015].....**170**

प्रश्न—''पक्षकारों ने जिस संविदा को लिखित रूप दिया हो उसमें लिखित साक्ष्य के स्थान पर मौखिक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता'' उपर्युक्त कथन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए? [APO 1997 (SC) Sp.]

प्रश्न—प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संदिग्धता में अंतर बताओ। [APO 1997, 94]

प्रश्न 37—सबूत के भार से आप क्या समझते हैं? दाण्डिक एवं सिविल मामलों में सबूत के भार का मानक क्या है? सबूत का भार तथा प्रमाण भार में अन्तर कीजिए। (धारा 101-102) [Bihar (APO) 2009, UP (J) 2012, Bihar (J) 1984, 1978, 1986, UP (APO) 1982, 94, 96, 97, 2007, Utt. (J) 2008] **185**

प्रश्न 38—विबन्ध को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार बताइये। (धारा 115-117)....................................**205**

प्रश्न - क्या विबंध मौन भी हो सकता है? [Bihar (J) 1980, 2000, 2006, 2011, U.P. (J) 91, 2003, UP (APO) 1982, 94, 97, 2002, 2007, Utt. (J) 2005, 2011]....**205**

प्रश्न : साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विबन्धन के नियम के मुख्य लक्षणों का उल्लेख कीजिये। क्या किन्ही परिस्थितियों में मौन के द्वारा भी विबन्धन की स्थिति हो सकती है?

[U.P. (J) 2015] **215**

प्रश्न : विबन्धन के सिद्धान्त का वर्णन करो। विबन्धन एवं स्वीकृति में अन्तर करो ? **[UP (J) 2015]**...............**205**

प्रश्न 35—साक्ष्य कौन दे सकता है? मूक व्यक्ति का साक्ष्य कब सुसंगत होता है? (धारा 118-120)[UP (APO) 1988, 2002, 2007, UP (J) 1987, 2013, Utt (J) 2011, UP (APO) 2015]..**215**

प्रश्न 40 : विशेषाधिकार संसूचना किसे कहते हैं? (धारा 121, 131) [Bihar 1980, 84, 86, UP (J) 1985, UP (APO) 1997, 2007, 1996, UP (J) 2015]..........**216**

प्रश्न ः विशेषाधिकार संसूचना कौन सी हैं? ऐसी संसूचनाओं का प्रकटीकरण कब संरक्षित है, कब नही? [UP (J) 2013]**217**

प्रश्न 41—सह-अपराधी किसे कहते हैं ? किसी सह-अपराधी द्वारा दिये गये साक्ष्य की ग्राह्यता एवं मूल्य को निर्धारित करने के जो नियम है उसे समझाइये। (धारा 133)[Bihar 1978, 80, 87, 91, 2000, 2011,UP (J) 1982, 97, UP (APO) 1982, 94, 97, 2002, 2007 Utt. 2005, 2011]**225**

प्रश्न 42—मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा तथा पुनः परीक्षा के लेन की व्याख्या कीजिये? (धारा 137-138) [MP (J) 2013, Bihar 2000, 1987, 1977, 2011 UP (APO) 1982, 94, 96, 97, Jhar. (APO) 2013]................................**238**

प्रश्न—भा0साक्ष्य अधि0 के अंतर्गत मुख्य परीक्षा, प्रति-परीक्षा तथा पुनः परीक्षा के क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। उनके उद्देश्यों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। [UP (J)1987]

प्रश्न—पुनः परीक्षा पर टिप्पणी कीजिए।[Bihar (J) 97] **238**

प्रश्न 43—सूचक प्रश्न किसे कहते हैं? यह कब पूछा जा सकता है तथा कब नहीं पूछा जा सकता है? उदाहरण देकर समझाइये। (धारा 141-143) [Bihar 1975, 87, 91, UP (J), 1984, 87, UP (APO)1987, 1997, Utt. (J) 2009]

प्रश्न—सूचक प्रश्न से आप क्या समझते हैं? दृष्टान्तों सहित व्याख्या कीजिए। [Bihar(J) 1991]................ **243**

प्रश्न—सूचक प्रश्न किसे कहते हैं? उन्हें कौन पूछ सकता है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। [UP(J), 84, 87, 88]

प्रश्न—सूचक (*Leding question*) से आप क्या समझते हैं? कब वे मुख्य परीक्षा में पूछे जा सकते हैं? क्या कोई अधिवक्ता अपने ही गवाह से उत्तर सूचक प्रश्न पूछ सकता है? यदि हाँ तो कब? (धारा 141,142, 154)[UPAPO (special) 1997] **243**

प्रश्न 44—पक्षद्रोही साक्षी पर टिप्पणी लिखिए। [Bihar 1975, Bihar (APO) 2009, Utt. (J) 2011]..**249**

प्रश्न 46—गवाह अपनी स्मृति किन दस्तावेजों को देखकर ताजा कर सकता है? (धारा 159-161)[Bihar 1979, UP (APO) 1997]..**253**

प्रश्न 47—न्यायालय की गवाह से प्रश्न करने की क्या शक्तियाँ है। क्या इन उत्तरों के प्रयोग पर कोई सीमा है? (धारा 165) [Bihar (APO) 1997, UP (J) 1985, Utt (J) 2002] **255**

प्रश्न 45—साक्षी की विश्वसनीयता कब अधिक्षिप्त की जा सकती है? (धारा 155) [Bihar (J) 1977, 78, 80, UP (APO) 1996, 2007]....................................... **251**

☞ **वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2018**........................ **269-272**

☞ **सम्स्यात्मक प्रश्न**............................... **273-280**

❖❖❖